विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	पंचायती राज विभाग
प्रश्न संख्या अतारांकित	:	1982
उत्तर की तिथि	:	07—03—2022
विषय	:	भवन निर्माण
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर)
सम्बन्धित मन्त्री	:	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री

प्रश्न — **उत्तर**

क्या **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(क) (प्रदेश में कुल कितनी पंचायतें हैं; कितनी पंचायतें बिना पंचायत घर (भवन) के हैं; एक पंचायत घर (भवन) में कुल कितने कमरे होने चाहिए तथा पंचायत घर के निर्माण कार्य करने हेतु क्या अनुमानित लागत आती है; और

(क) वर्तमान में प्रदेश में 3615 ग्राम पंचायतें हैं। प्रदेश की 3615 ग्राम पंचायतों में से 447 ग्राम पंचायतों के पास अपना पंचायत घर (भवन) नहीं है, जिसका जिलावार ब्यौरा निम्न है :—

क0सं0	जिला	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या जिनके पास अपना पंचायत घर (भवन) नहीं हैं
1	बिलासपुर	176	22
2	चम्बा	309	18
3	हमीरपुर	248	25
4	कॉगड़ा	814	82
5	कुल्लू	235	33
6	लाहौल—स्पिति	45	4
7	किन्नौर	73	12
8	मण्डी	559	102
9	शिमला	412	56
10	सिरमौर	259	37
11	सोलन	240	32
12	ऊना	245	24
कुल योग		**3615**	**447**

इन 447 ग्राम पंचायतों में से भी 412 ग्राम पंचायतें नवगठित या वह ग्राम पंचायतें है जिनका पंचायत घर (भवन) वर्ष 2020 में पुर्नगठन व विभाजन उपरान्त नई ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में चला गया है।

विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत घर (भवन) में भूमि की उपलब्धता पर निम्न कमरों/कक्ष व अन्य सुविधाओं का प्रावधान हैं :–

क0सं0	**विवरण**	**कमरा/कक्ष की संख्या**
1.	ग्राम पंचायत प्रधान कार्यालय कक्ष।	01
2.	ग्राम पंचायत सचिव कार्यालय कक्ष।	01
3.	ग्राम रोजगार सहायक/तकनीकी सहायक /अन्य कर्मचारी कार्यालय कक्ष।	01
4.	विभिन्न विभाग की गतिविधियों हेतू कार्यालय कक्ष।	01
5.	ग्राम पंचायत बैठक कक्ष पेन्टरी व रसोई कक्ष सहित।	01
6.	स्टोर कक्ष।	01
7.	महिला शौचालय।	01
8.	पुरुष शौचालय।	01

उपरोक्त निर्माण कार्य बावत मु0 30.00 से 35.00 लाख रूपये की अनुमानित लागत आती है। पंचायत घर (भवन) निर्माण हेतू भूमि की उपलब्धता पर ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावनाओं के आधार पर चरणवद्ध तरीके से किश्तों में धनराशि जारी की गई है व की जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतें अन्य स्त्रोतों/मदों से प्राप्त आय/धनराशि में यदि कोई है, तो वह उपलब्ध धनराशि में से अपने पंचायत घर (भवन) में उपरोक्त से अधिक कमरों/कक्ष भी निर्माण कर सकती है।

(ख)	गत 3 वर्षों में दिनांक 01.02.2022 तक क्या पंचायत घरों के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया था; यदि हां, तो वर्षवार एवं जिलावार धनराशि का ब्यौरा दें ?)	(ख)	हां, गत 3 वर्षों में दिनांक 01.02.2022 तक विभाग द्वारा पंचायत घरों के निर्माण बावत मु0 6172.00 लाख रूपये की धनराशि का प्रावधान किया गया। जिसको ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावनाओं और भूमि की उपलब्धता के आधार पर वर्षवार एवं जिलावार निम्न प्रकार से आवंटित किया गयाः–

क0सं0	**जिला**	**वर्ष**		
		2019–20 (रूपये लाख में)	**2020–21 (रूपये लाख में)**	**2021–22 (01.02.2022) (रूपये लाख में)**
1	बिलासपुर	28.75	72.35	22.00
2	चम्बा	218.10	120.72	110.00
3	हमीरपुर	96.91	26.10	143.64
4	कॉगड़ा	118.33	171.35	457.99
5	कुल्लू	109.60	81.08	52.27
6	लाहौल–स्पिति	53.72	267.40	0.00
7	किन्नौर	24.00	85.10	4.00
8	मण्डी	488.03	303.94	1072.47
9	शिमला	244.41	440.74	218.44
10	सिरमौर	124.38	56.10	143.00
11	सोलन	158.20	198.41	126.00
12	ऊना	89.92	103.25	141.30
कुल योग		**1754.35**	**1926.54**	**2491.11**